ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020
Anthology : The Research

जनजातिय समुदाय की विविध समस्याएं एवं उनका समाधान (उदयपुर संभाग के सम्बन्ध में)

Diverse Problems of Tribal Communities and Their Solutions (In Relation To Udaipur Division)

Paper Submission: 15/03/2018, Date ofAcceptance: 26/04/2018, Date of Publication: 20/11/2020

वीणा सनाढ्य
सहायक निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

राजस्थान में कुछ ऐसे समूह हैं जो अन्य समाजों से प्रारंभ से ही दूर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में समाज से कटे यह लोग जंगलों व पहाड़ियों में निवास करते हैं जिन्हें जनजाति आदिवासी या ट्राइबल कहा जाता है। राजस्थान का जनजाति संख्या की दृष्टि से भारत में पांचवा स्थान है दक्षिणी भूभाग डूंगरपुर बांसवाड़ा व उदयपुर जिले के कुछ भाग में यह सदियों से रहते आए हैं, इनमें भील, मीणा गरासिया एडामोर आदि जनजातियां प्रमुख है यह सभी जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आती हैं जो विभिन्न प्रकार की आंतरिक व बाह्य समस्याओं से ग्रसित हैं क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव होने से गरीबी में जकड़े हुए हैं ऋणग्रस्तता प्रमुख समस्या हैए अन्य सामाजिक समस्याएं तो है ही पर अनेक सरकारी योजनाएं व स्वयंसेवी समूह इसमें सक्रिय हैं ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। वर्तमान शोध इसी विषय पर उदयपुर जिले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है ।

There are some groups in Rajasthan that have stayed away from other societies since the beginning. Even today, a large number of people, who are cut off from the society, live in the forests and hills, which are called tribals or tribals. The tribe of Rajasthan is the fifth place in India in terms of numbers, in the southern part of Dungarpur Banswara and Udaipur district, it has been living for centuries, among these Bhil, Meena Garasia Edamor etc. tribes are prominent.All these tribes fall in the sub plan area which are different There are types of internal and external problems, due to lack of facilities in the area, people are stuck in poverty, indebtedness is the main problem, there are other social problems, but many government schemes and volunteer groups are active in it so that the problems can be resolved. The present research is presented in the context of Udaipur district on this subject.

मुख्य शब्द : गरीबी ,जनजातियां, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सरकारी योजनाएं, समाधान ।

Poverty, Tribes, Science And Technology, Government Schemes, Solutions.

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध में जनजातिय समुदाय की विविध समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किये गये है। एक ओर हमारे देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने सुख–सुविधा व सम्पन्नता को हर वस्तु मानव के लिये सुलभ करा दी है तो दूसरी ओर इसी देश में ऐसे मानव–समूह भी निवास करते हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वे सभ्य समाज से दूर जंगलों व पहाड़ियों पर रहते हैं जिन्हें आदिवासी, जनजाति या ट्राईबल के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ये आदिवासी प्रारम्भ से ही प्रकृति के पुत्र रहे हैं और प्रकृति के बीच ही निवास करते आ रहे हैं। भारत में मध्यप्रदेश, उडीसा, त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर, आसाम, तमिलनाडु, केरल आन्ध्रप्रदेश, कनाटक, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में बड़ी मात्रा में आदिवासी रहते हैं। इनमें से राजस्थान का पांचवा स्थान है इस राज्य का दक्षिणी भू–भाग सदियों से आदिवासियों का आश्रय–स्थल रहा है। इस क्षेत्र में भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कथीडी आदि प्रमुख जनजातियों निवास करती हैं। इस समय जनजाति समाज की सबसे गम्भीर समस्या उनका

पिछडापन एव गरीबी है और यही कारण हैं कि इस वर्ग की गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में प्रशासनिक तन्त्र, बुद्धिजीवी एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सभी प्रयत्नशील है। राज्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निवासित जनजातियाँ आज भी अत्यन्त पिछडी हुई है तथा गरीबी, ऋणग्रस्तता, बन्धुआ मजदूरी, अशिक्षा, अन्धविश्वास आदि के दुःचक्र में बुरी तरह जकड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है और नियोजन समान नहीं है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए अनेकों योजनाएँ बनाई है तथा इनके विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उदयपुर संभाग की जनजातियों की समस्याएं चिन्हित करना।
2. जनजातियों की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना।

साहित्य अवलोकन

संदर्भ साहित्य के अवलोकन से हमें शोध अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं शोध कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है यहां हम कुछ अध्ययनों के उल्लेख करने जा रहे हैं

पुनलेकर एस.पी. ए. १९८५ में श्सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एजुकेशनल इनिक्वालिटी केस ऑफ ट्राइबल फ्रॉम महाराष्ट्र गुजरात एंड राजस्थान विलेज ट्राईबल एजुकेशन इन गुजरात में संकलित अजंता पब्लिकेशन, पृष्ठ 12 से 13, जातियों और जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति को सामाजिक स्थिति में देखने का प्रयास किया है जनजातीय बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं इनमें से जो अत्यंत गरीब हैं वह शैक्षिक असमानता का शिकार है यह जातियां राष्ट्र की मुख्यधारा में देर से शामिल हुई इसीलिए इन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

एजुकेशन अमाउंट ट्राईबल, श्यामलाल, पिंकविले पब्लिशर्स जयपुर 1987। श्यामलाल राजस्थान की जनजातियों के बीच शिक्षा प्रसार हेतु किए गए प्रयत्न एवं बाधक कारणों का अध्ययन किया और पाया कि बांसवाड़ा में मिशनरी के आने के बाद जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है।

रितु सारस्वत 2005 में भारतीय जनजातियों की समस्याएं एवं समाधान लेख में लिखा है कि इनकी समस्याएं बहुत ही विस्तृत व जटिल हैं इनके मूलतः दो स्वरूप हैं नवीन कानूनों एवं व्यवस्थाओं के कारण और दूसरा स्वयं निर्मित व्यवस्थाओं के कारण यह कुरुक्षेत्र अखबार में दिसंबर 2005 में प्रकाशित हुआ

कुरुक्षेत्र अखबार में जून 2009 में उदय सिंह, ने एक लेख लिखा भीलों की कुरीतियाँ मिटता संपर्क, इसके अंतर्गत कुरीतियों का जिक्र किया गया है, जिससे साक्षरता एवं विकास के द्वारा कुछ परिवर्तन आया है। मध्य पान प्रवृत्तिए पंचायतों की अवधारणाओं आदि में बदलाव हुआ है।

२०१६.१७.में ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा प्रकाशित ट्राइबल खंड 9 में पूरा ट्राइबल एरिया की जानकारी दी गई है। इसमें ट्राइबल गरीबी का प्रतिशत ४१.५% बताया। राजस्थान में स एस. टी.साक्षरता ५२% और ५७.७% घर ऐसे थे जहां पर रोशनी के लिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। ६२ प्रतिशत घर ऐसे पाए गए जिनमें लैट्रिन की सुविधा है। घरों में जल की सुविधा केवल मात्र 11% घरों में पाई गई। क्राइम रेट केरल के बाद सर्वाधिक पाई गयी। संभाग के उदेपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, व बांसवारा जिलो की संमस्या का विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

विवेचन

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं से ग्रसित हैं। ये लोग ऋणग्रस्तता, अशिक्षा, अन्धविश्वास बेरोजगारी आदि अनेक समस्याओं से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का भी प्रायरू नभाव देखने को मिलता है। इन्हीं अभावों और समस्याओं ने इनको गरीबी में ढकेल दिया है। इनकी कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है दृ

ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्तता जनजातियों की प्रमुख समस्या है। जनजाति के लोग प्रायरू कज में जन्मते हैं, कज में ही पलते हैं और कज में ही मर जाते हैं। इन्हें प्रत्येक कार्य जैसे– विवाह, कृषि, मृत्युभोज, त्यौहारों व उत्सव के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जिससे आमदनी कम ही होती है। इनके अन्य आय के स्रोत नहीं के बराबर है। अतः अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्हें कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है। कर्ज लेने के लिए इन्हें अपनी भूमि, मकान, आभूषण, पशुधन आदि गिरवी रखने पड़ते हैं और समय पर कर्ज नहीं चुका पाने पर इन्हें बेचना भी पड़ जाता है। ये लोग प्रायरू पांच प्रयोजनों के लिए ऋण लेते हैं

1. कठिनाई के दिनों में भोजन के लिए,
2. सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए,
3. जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे– जन्म, मृत्यु और विवाह सम्बन्धी संस्कारों के लिए,
4. विवादों के निबटाने पर होने वाले खर्च के लिए तथा
5. भूमि व कृषि के लिए।

अन्धविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियाँ

इस क्षेत्र के आदिवासी अन्धविश्वासों से पूरी तरह जकड़े हुए हैं। आदिवासियों का प्रायरू प्रत्येक कार्य अन्धविश्वासों पर आधारित होता है। ये शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न बीमारियों का ईलाज तो जड़ी–बूटियों से करवाते हैं, परन्तु हैजा, प्लेग, बुखार आदि बीमारियों का ईलाज जादू–टोने से करवाते हैं। इसी कारण इन बीमारियों से यहां अधिक मौतें होती है। जब इनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो इसकी ये देवी का प्रकोप मानकर उसका ईलाज स्थानीय भोपा से करवाते हैं।

कुरीति के रूप में इनके समाज में दापा–प्रथा का प्रचलन है जिसमें कन्या के माता–पिता द्वारा रुपये लेने पर ही वर–पक्ष वाला लड़की से शादी कर सकता है। दम्पा की रकम रु.125/– से रु.1000/– तक की होती

है। इसी तरह जादू–टोना व भूत–प्रेतों में विश्वास करना, मृत्युभोज, पौराणिक कथाओं, देवी–देवताओं में विश्वास आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अन्धविश्वारा व कुरीतियों यहां देखने को मिलती है। इन्हीं के कारण ये लोग सदेव गरीबी में दबे रहते हैं।

नशाखोरी

नशाखोरी ने इन आदिवासियों के पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। प्रत्येक आदिवासी परिवार उत्सव त्यौहार, विवाह आदि अवसरों पर खूब शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते है। आज भी ये लोग देशी शराब बनाते हैं और पोते हैं। शराब पीने से इनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।

गरीबी की समस्या

इस क्षेत्र में हालांकि प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध है फिर भी यहां के लोग अत्यधिक गरीब हैं। यहां के लोग अधिकांशतः खेती करते हैं और भूमि का छोटा आकार तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में ये लोग रचेतो से कम पैदावार ही ले पाते हैं। वनों के नष्ट हो जाने के कारण ये लोग वनों से उपज भी नहीं ले पाते। पेट पालने के लिए इन्हें मजदूरी करनी पड़ती है वो भी यहां नहीं मिलती। पास के किसी दूसरे क्षेत्र में मजदूरी मिलती है जिसके लिए वर्ष में लगभग 8 माह इन लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है। इस वजह से ये अपने बच्चों की शिक्षा भी नहीं दे पाते और गरीबी से सदैव अभिशप्त रहते हैं।

बेरोजगारी की समस्या

उपयोजना क्षेत्र में न तो उद्योगों का विकास हो पाया है और न किसी व्यापार का। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती को पैदावार भी सिंचाई के साधनों जैसे कुए, तालाब, नदी, नहरें, एनीकटो की कमी की वजह से कम होती है। वनों के नष्ट हो जाने के कारण वनों से उपज प्राप्त करने की मात्रा में भी कमी आई है। जगलों से कुछ जलाऊ लकड़ी, कोयले और घास बेचकर ये लोग अपना जीवन–यापन करते हैं। यह क्षेत्र अधिकांशतरू अकाल से पीड़ित रहता है। जनसंख्या की वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा अशिक्षा आदि भी बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी की वजह से इस क्षेत्र में सदैव भुखमरी व गरीबी की स्थिति बनी रहती है। इस क्षेत्र में इनको मजदूरी भी नहीं मिल पाती। मजदूरी के लिए भी इनको पास वाले क्षेत्रों में जाना पडता है।

मुकदमेबाजी

मुकदमेबाजी में समय व धन की बर्बादी करना इस क्षेत्र के आदिवासियों की एक गम्भीर समस्या है। जब किसी आदिवासी के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो ये छोटी–छोटी बातों पर भी लडाई–झगड़े करने पर उतारू हो जाते हैं। फलस्वरूप इनमें आपस मुकदमेबाजी चलती रहती है। इसी तरह से ये लोग दूसरी, तीसरी शादी करके भी मुकदमेबाजी को आमन्त्रित करते हैं। जमीन–जायदाद के झगड़ों पर भी मुकदमेबाजी चलती रहती है। मुकदमेबाजी पर इनका अधिकांश धन व्यय हो जाता है।

बढ़ता वन–विनाश

बढ़ते वन–विनाश ने इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए जटिल समस्या उत्पन्न कर दी है। वन–पुत्र कहे जाने वाले ये आदिवासी जगलों के अभाव में आज अनेक आर्थिक व अन्य समस्याओं के घेरे में आ गए हैं ये वन–पुत्र और इनके पशु नग्न पहाड़ियों तथा वनों के अभाव में आज अश्रु बहा रहे हैं। ये लोग अपनी सुविधा से वंचित होकर निराश्रित हो गए हैं। प्रारम्भ से अकाल और गरीबी के समय जगल ही ईनके जीवन–रक्षक रहे हैं और आज वही सुविधा समाप्त हो गई है। ये लोग ईमारती लकड़ी के अभाव में घरविहीन और घास के अभाव में पशुरहित होते जा रहे हैं। वन–उत्पादों की कमी से ये लोग अर्थहीन हो गये हैं।

मिट्टी के कटाव की समस्या

इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव की भी गम्भीर समस्या है. क्योंकि अधिकांश आदिवासी परिवार ऊँचे पहाडी टीलो पर अपने टापरे बनाते हैं और टीलों के ढाल पर खेती करते हैं। खेती की स्थिति ढाल पर होने के कारण मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है। मिट्टी के पोषक तत्व बारिश के पानी में बहकर चले जाते , जिससे फसल उत्पादन में भारी कमी आ गई है।

मिट्टी का छोटा आकार

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेती की भूमि का आकार छोटा होता चला जा रहा है। उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों का जहां वर्ष 1970–71 में 22 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रत्येक परिवार को पास उपलब्ध थीदवह 1975–78 में घटकर 2-1 हेक्टेयर, 1980–81 में 1-84 हेक्टेयर, 1985–86 में 1-75 हेक्टेयर तथा 1991–92 में 1-67 हेक्टेयर हो गई। घटती हुई जोत का आकार उनकी आय को भी गिराता चला जा रहा है।

बढ़ती जनसंख्या

जनजाति क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा पायी गई है राजस्थान में आदिवासियों की दशक वृद्धि दर पिछले दशकों में निरन्तर बढ़ी है। सन् 1961 में जहा वृद्धि दर 25 % थी वहीं सन् 1971 में 28 तथा सन् 1981 में 30-62 % हो गई। यह उच्च दर इनकी गरीबी एवं बेरोजगारी को बनाये रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

छितरी आबादी के गांव

उपयोजना क्षेत्र के गांवों की प्रकृति छितरी आबादी की है। ये छितरी आबादी के गांव दस–पन्द्रह किलोमीटर के दायरे में फैले होते हैं जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के निवासी बिजली, पानी, सडक आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था आदि से वंचित रह जाते हैं।

परम्परागत कृषि स्वरूप

इस क्षेत्र के आदिवासी अपने परपरागत तरीके से खेती करते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम ले पाते है परम्परागत रूप से खेती करने में अधिक समय व श्रम नष्ट होता है और कम पैदावार से आय भी कम होती है। इसके विपरीत कृषि की नई तकनीक, उन्नत रसायन खाद एवं बीजों का प्रयोग करके अधिक पैदावार ली जा सकती है।

पेयजल का अभाव

उपयोजना क्षेत्र में तालाब, कुंओं, नहरों, एनोकटों आदि का भारी अभाव है। यहां भूमिगत पानी भी बहुत गहराई पर मिलता है। अनेक जगहों पर पीने का पानी खारा व प्रदूषित है। यहां के लोग आज भी लगभग एक से पांच किलोमीटर की दूरी से पानी लाते हैं। हैण्डपम्प अधिकांश खराब पड़े हुए हैं। इनकी बस्ती के पास जैसा भी जल उपलब्ध है ये उसी से अपना काम चलाते हैं।

चिकित्सा सुविधा का अभाव

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय आदि का भारी अभाव है। गांवों में कहीं–कहीं पर आयुर्वेदिक औषधालय अवश्य है परन्तु वहां ईलाज व दवाईयों का अभाव है। गांवों में स्थापित उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय भी करीब पांच– दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यहां स्वास्थ्य सुविधा का नितान्त अभाव है। गम्भीर बीमारियों के ईलाज के लिए इन्हें 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पार कर जिला मुख्यालयों पर चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करनी होती है।

परिवहन तथा संचार की समस्या

इस क्षेत्र में परिवहन व संचार सुविधाओं की भारी कमी है। यहां पर पकी सड़कें तो नहीं के बराबर है। क्षेत्र के लगभग 10% गांव ही पकी सड़कों से जुड़े हुए हैं। 20 % गांव कच्ची व पक्की सड़कों से जुडे हुए और 70 % गांव कच्ची सडकों से ही जुड़े हुए हैं मात्र लगभग 30 % गांवों में बस–स्टॉप की सुविधा उपलब्ध है और 70 % गांवों में आवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव प्रायरू पैदल ही जाते हैं। उपयोजना क्षेत्र के लगभग B5% गांवों में डाक, तार व दूरभाष सेवा का अभाव है।

विद्युत समस्या

इस क्षेत्र में बिजली की गन्भीर समस्या है। इनके टापरे प्रायरू दूर–दूर पहाड़ी पर होते जिससे इनकी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। वैसे इस क्षेत्र के लगभग 65% गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है फिर भी धनाभाव के कारण कृषि कनेक्शन बहुत ही कम लोगों द्वारा लिये गए हैं। निर्धन आदिवासी घरों में बिजली कनेक्शन लेने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

शिक्षण संस्थाओं का अभाव

उपयोजना क्षेत्र में वैसे तो शिक्षा का प्रसार करने के लिए 90% से अधिक गांवों में प्राथमिक विद्यालय अथवा राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली जा चुकी है फिर भी आदिवासियों के टापरे दूर– दूर की पहाड़ियों पर बने होने के कारण उन शिक्षण संस्थाओं का लाभ उठाने से ये लोग वंचित रह जाते हैं। इनकी छितरी आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया है।

साक्षरता का निम्न स्तर

उपयोजना क्षेत्र के जनजातियों में साक्षरता की कमी देखने में आती है। वर्ष 1956–57 में इस क्षेत्र में मात्र 900 शेक्षणिक संस्थाएँ कार्यरत थी जिनमें प्राथमिक स्तर पर 73, 102 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 16, 130 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। वर्ष 1961 में इस क्षेत्र में सामान्य साक्षरता दर 9-2% थी जो 1981 में बढ़कर 16-44 % हो गई, जबकि राज्य में यही दर 24-38 % थी। इस क्षेत्र के आदिवासियों की साक्षरता दर 7-84 % थी जिसमें पुरुषों की 14-74% एवं महिलाओं की 0-98 % थी।

सिंचाई के साधनों का अभाव

इस क्षेत्र में आदिवासियों के पास न केवल कृषि भूमि का आकार छोटा है बल्कि असिंचित भूमि भी ज्यादा है। इनकी अधिकांश भूमि पहाड़ियों के ढलानों पर होने के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप ये लोग वर्ष में खरीफ की फसल ही ले पाते हैं जिससे इनकी आय कम होती है। जो आदिवासी समतल भूमि पर रखेती करते हैं उनके पास भी सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है।

समस्याओं का निवारण

उपयोजना क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ विभिन्न रवयरोवी संस्थाओं द्वारा भी अनवरत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों ने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ, सामुदायिक विकास की योजनाएँ. शैक्षिक योजनाएँ तथा व्यक्तिगत विकास की योजनाएं सम्मिलित है। क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में सड़कों का निर्माण कार्य सिचाई के साधन जैसे– बांध एनीकट, तालाब आदि का निर्माण, विद्युतीकरण, शिक्षा का विस्तार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना आदि योजनाएँ सम्मिलित है। सामुदायिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग द्वारा कुछ ऐसी योजनाएँ संचालित की जा रही है जिनसे जनजाति समुदाय के समूहों को लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर इन योजनाओं में डीजल पम्पसेटों का वितरण, जलोत्थान सिंचाई योजना, एनीकट निर्माण, सहकारिता के आधार पर मत्स्यारवेट, पेयजल, तालाबों का निर्माण आदि योजनाएँ सम्मिलित है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित की जाती है जिनसे जनजाति के परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होकर उनकी गरीबी दूर होती है तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। उनमें से मुख्य–मुख्य योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं

1. विस्फोट के माध्यम से कृषि–कुए गहरे करना,
2. निःशुल्क व्यक्तिगत डीजल पम्पसेटों का वितरण,
3. साग–सब्जी उत्पादन योजना,
4. फल विकास योजना,
5. पौध–संरक्षण कार्यक्रम
6. कृषि यन्त्रों का वितरण
7. जिप्सम खाद का वितरण
8. रेशम कीट पालन
9. उन्नत किस्म के बकरों व भेड़ो का वितरण
10. मत्स्य पालन योजना
11. कुकुट पालन योजना
12. दुग्ध विकास योजना
13. कुओं के विद्युतीकरण पर अनुदान
14. आदिवासी नर्सरी योजना
15. विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

16. शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रवाहन कार्यक्रम
17. आश्रम छात्रावासो का संचालन
18. कृषि प्रदर्शन
19. लघु वन–उत्पादों का संग्रहण
20. आवास निर्माण योजना
21. उत्सवों पर ब्याज रहित ऋण योजना
22. अकाल राहत कार्यक्रम।

यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनकी समस्याओं के निवारण के लिए पर्याप्त प्रयास किये गए हैं और किये जा रहे हैं फिर भी समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिये गए हैं जिनसे विद्यमान समस्याओं के निराकरण में कुछ मदद मिल सकती है।

ऋणग्रस्तता का निवारण

ऋणग्रस्तता के निवारण हेतु जनजाति क्षेत्र में बीमा एवं बैंकिग व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार होना चाहिये। बैंकों द्वारा जनजातियों के लिए धन जमा कराने पर कुछ अधिक व्याज व कर्ज लेने परउनसे कुछ कम व्याज दर लिया जाना चाहिये जिससे वे लोग साहूकारों के चंगुल से बाहर निकल सकें दूसरे सरकार द्वारा साहूकारों से आदिवासी कर्जदारों को तुरन्त ऋणमुक्त कराने की नीति अपनानी चाहिये। साहूकारी प्रथा समाप्त कर इनको जरूरत की सारी वस्तुएँ उपभोक्तफा भण्डारा को माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि वे साहूकारों के चंगुल में नहीं फंसे।

सामाजिक कुरीतियों का निवारण

इनके सामाजिक उत्थान के लिए सरकार को समाज सुधार पर विशेष ध्यान देना चाहिये और दी जाने वाली आर्थिक सहायता नकद रुपयों में नहीं दी जानी चाहिये। इसी तरह बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगा देनी चाहिये ताकि जनसंख्या वृद्धि पर भी नियन्त्रण रहे। दापा प्रथा, अन्धविश्वास एवं अन्य कुरीतियों के निवारण हेतु शिक्षा और जनजागरण अभियान पर बल दिया जाना चाहिये। सबसे बढ़कर इनमें सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए चेतना–शिविरों के आयोजन करने चाहिये।

नशारखोरी का निवारण

सरकार को पूर्ण नशाबन्दी लागू कर आदिवासियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहिये। शिक्षा व जनजागरण अभियान द्वारा नशाखोरी पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए कानून भी बनाये जा सकते हैं।

बेरोजगारी की समस्या का निवारण

इसके लिए गांवों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आई.टी. आई. व अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आदिवासी युवकों को निरूशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में खनिज उत्पादन होता है वहां पर अधिक से अधिक संरक्या में आदिवासियों को ही खनन के काम पर रखा जाना चाहिये। इसी तरह निर्माण कार्य पर भी आदिवासी मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को विशेष रियायत व छूट दी जानी चाहिये और उनको आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये जिससे इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हो सके। उपयोजना क्षेत्र में खनिजों की विपुलता है इसलिए खानों के पट्टे जहां तक हो सके अधिक से अधिक संख्या में आदिवासियों की ही आवंटित किये जावें।

1. **खेतीहर** मजदूरी पर बिहार व उत्तर प्रदेश के मजदूर आदिवासी मजदूरों को रखा जाना चाहिये। शिक्षित आदिवासी युवकों को रोजगारजनित व्यवसायों का निरूशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। सरकारी नौकरियों में प्रविष्टि पाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसी तरह मेवाड़ भील कोर में सिपाही से लेकर ऑफिसर और कमाण्डेन्ट तक प्रत्येक स्तर पर जनजाति कत्रे व्यक्तियो को ही नियुक्ति दी जानी चाहिये। सरकारी नौकरियों में सहायक स्तर के पदों जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के अध्यापक, नर्सिंग स्टाफ, फोरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, पुलिस कांस्टेबिल. पटवारी, ग्रामसेवक बस कण्डेक्टर आदि पदो पर इस क्षेत्र के केवल जनजाति योग्य अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिये जिससे वेरोजगारी की समस्या का धीरे–धीरे निराकरण हो सके।
2. **वन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान–** सरकार द्वारा जो ठेकेदार लकड़ी देवने का कार्य करते हैं तथा वन के जो कर्मचारी उन ठेकेदारों को लकड़ी बेचने की इजाजत देते है उन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिये। इस क्षेत्र में सामाजिक वानिकी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसी तरह यनारोपण हेतु जनजातियों को कुछ अनुदान राशि भी दी जानी चाहिये जिससे लाभदायक पर्यावरण बन सके। इसके साथ–साथ क्षरित वनों का जीणोद्धार भी किया जाना चाहिये।
3. **आदिवासी** क्षेत्रों में जंगल की कटाई रोकने एवं उसकी सुरक्षा हेतु जंगल लगाने, उनकी सुरक्षा, रख–रखाव आदि की जिम्मेदारी आदिवासियों को दी जानी चाहिये। जंगलों की निगरानी हेतु ग्रामीण स्तर की समितियाँ बनाई जानी चाहिये एवं उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। साथ ही जंगलाप्त के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि पर आदिवासियों को स्वामित्व दिया जाना चाहिये और वन–विभाग द्वारा बेदखल की कार्यवाही बन्द की जानी चाहिये।
4. **मिट्टी के कटाव की समस्या का निवारण–** मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा इन लोगों के लिए ऐसी फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे मिट्टी का कटाव रूक सके। ढाल वाले खेतों में ढाल के विपरीत वनस्पति लगा देनी चाहिये जिससे पानी का बहाव तेज गति से न हो सके। सिंचाई, मवेशियों को पानी एवं मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु इन क्षेत्रों में छोटे–छोटे नदी–नालों पर स्टॉप–एनीकट बनाने की आवश्यकता कटाव को रोकने के लिए बन्दी भी की

जा सकती है तथा जल संरक्षण व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है

5. **भूमि के छोटे आकार का निवारण–** इस समस्या के समाधान हेतु अगर पास के 10–15 जनजाति कृषक मिलकर आपस में सामूहिक खेती करें तो उससे ज्यादा पैदावार होगी और उनको ज्यादा लाभ इसके लिए 10–15 लोग मिलकर एक कृषक समिति सहकारी विभाग की देखरेख में गठित की जा सकती है गठन करने में जो व्यय होगा वह विभाग द्वारा वहन किया जा सकता है। समिति गठित होने के पश्चात इसके सदस्य मिलकर इस सामूहिक भूमि पर आधुनिक तरीके से खेती और जो पैदावार होगी उसकी भूमि के आकार के अनुपात में बांट समिति के सदस्य श्रमिक के रूप में भी इस सामूहिक पर कार्य कर सकते हैं जिसके बदले में इस प्रकार खेती की पैदावार भी बढेगी और मजदूरी के रूप में इनकी आय में भी वृद्धि होगी।
6. **शोषण से मुक्ति के उपाय–** शोषण से मुक्ति हेतु शिक्षा के साथ–साथ आदिवासियों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिये। इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में पूरी–पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। इन्हें इस बात का ज्ञान कराया जाना चाहिये कि उनका किस प्रकार से अन्य व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। इनकी सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सुविधाओं की जानकारी भी देनी चाहिये जब तक इनमें शिक्षा व चेतना का उदय नहीं होगा. इन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना सम्भव नहीं होगा।
7. **जलापूर्ति समस्या का समाधान–** जलापूर्ति हेतु कुओं तथा हैण्डपम्पों का विस्तार करना चाहिये। 50 की आबादी पर एक हैण्डपम्प या एक ऑपन–वेल खोदा जाना चाहिये। सरकार की सतही क्षेत्र में तालाब, बांध आदि बनाने चाहिये ताकि भूमि के अन्दर पानी का स्तर ऊपर रहे। सरकार द्वारा कुए खुदवाने की अनुदान राशि बढानी चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र में पानी गहरा है और लागत अधिक आती है। सरकार की चाहिये, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी गहरा है और लागत अधिक आती है। सरकार की चाहिये कि कुए खुदवाने की अनुदान राशि सीधे आदिवासियों को जाए जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो सके। बड़े गांवों में जहां की आबादी 5,000 से ऊपर हैण्डपम्प खराब पड़े हैं. सरकार की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हैण्डपम्प बिना किसी विलम्ब के तुरन्त ठीक कराये जा सके। इसके लिए गांव के ही किसी व्यक्ति को इस कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उस व्यक्ति की हैण्डपम्प ठीक करने के लिए उचित महनताना मिलना चाहिये। जिन गांवों में पीने के पानी को कोई व्यवस्था नहीं है वहां प्राथमिकता के स्तर पर कुए या हैण्डपम्प लगवाने चाहिये।
8. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार–** क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार तथा शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये जहां चिकित्सा सुविधा का अभाव है वहां प्रत्येक गांव में एक–एक ए.एन.एम. पांच गांवों को बीच एक उप–स्वास्थ्य कलेन्द्र, पच्चीस गांवों को बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पचारा गांवों को मध्य एक रेफरल अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिये। इनमें मरीजों का निरूशुल्क ईलाज होना चाहिये। आदिवासियों में क्षय रोग का विशेष प्रकोप है। अतरू ऐसे मरीजो को एक्स–रे, दवाईयों व पौष्टिक खाद्य–पदार्थ आदि की निरूशुल्क व्यवस्था कराई जानी चाहिये।
9. **पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार–** पशुओं की नस्ल सुधार हेतु इनको विदेशी नस्ल के पशु वितरित किये जाने चाहिये और इनकी कीगत किश्तो में वसूल की जानी चाहिये। इसी तरह इस क्षेत्र में पौष्टिक घास के बीज भी आदिवासियों को निरूशुल्क दितरित किये जाने चाहिये। प्रत्येक ग्राम पचायत क्षेत्र में एक–एक पशु औषधालय स्थापित किये जाने वाहिये। पचायत समिति स्तर पर एकदृएक बल–पशुदृकित्सालय की स्थापना भी की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त पचायत समिति मुख्यालय पर एक–एक पशु–चिकित्सालय स्थापित किये जाने चाहिये जिनमें पशुओं के ईलाज व दवाईयों की निरूशुल्क व्यवस्था होनी चाहिये।
10. **शैक्षणिक स्तर में सुदृढीकरण–** प्रत्येक राजस्व गांव में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये जहां आदिवासी बालकों को निशुल्क शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के साथ–साथ बच्चों के अभिभावकों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेज सकें। बालकों को निरूशुल्क अल्पाहार, पोशाकें, पुस्तकें व लेखन सामग्री भी दी जानी चाहिये। बड़े गांवों में उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के प्रयास किये जाने चाहिये। तहसील स्तर पर एक ग्रेजुएट कॉलेज खोला जाना चाहिये व जिला स्तर पर एक पुरुष पोस्ट–ग्रेजुएट कॉलेज व एक महिला पोर्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला जाना चाहिये। जहां पर सैकण्ड्री व हायर–सैकण्ड्री स्कूल है वहां पर एक पुरुषों के लिए व एक महिलाओं के लिए छात्रायास खोला जाना चाहिये और यहां पर उनकी खाने–पीने य आवास की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिये आदिवासी छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रु. 250/– से बढ़ाकर रु. 500/– प्रतिमाह की जानी चाहिये। इस वर्ग के छात्र–छात्राओं को फल होने पर भी निरूशुल्क छात्रावास तथा अन्य सुविधाएँ यथावत जारी रखते हुए उन्हें पढने का पुनरू मौका दिया जाना चाहिये। अन्य सुविधाएँ व प्रोत्साहन राशि यथावत चालू रहनी चाहिये।
11. **प्रतिभावान** छात्र–छात्राओं के लिए उपयोजना क्षेत्र में कम से कम 8 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये और उसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की रु 50/– प्रतिमाह व कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की रु. 100/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जानी

चाहिये। शिक्षा के विकास की ऐसी प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए जनजाति के छात्रों को सभी सुविधाएं देकर राज्य के अन्य विकसित जिलो के सार्वजनिक छात्रायासों में प्रवेश दिलाने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिये।

12. **परिवहन एवं संचार सुविधा की समस्या का समाधान–** जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राइफ से जोड़ा जाना चाहिये 500 की आबादी के समस्त गावों को पानी सडको से जोडना चाहिये। साथ ही जहां–जहां आक–तार की सुविधा नहीं है वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो गाव परकी एच क्यी पकी सडकों से जुड गए हैं उनमें आवागमन के लिए सरकारी या प्राइवेट बसे चलाई जा सके।
13. **विद्युत की कमी का समाधान–** जनजातियों की छितरी आबादी होने के कारण पहाडी पर तो बिजली पहुंचना सम्भवनहीं है फिर भी सरकार के प्रयास ये होने चाहिये कि ये लोग किसी प्रकार समूहों में रहे और सामूहिक स्थान पर बिजली पहुंचा दी जावे। अगर ये सम्भव नहीं है तो प्रत्येक राजस्व गांव में तो प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंचाने के प्रयास करने चाहिये। कृषि कनेक्शन के लिए इन्हें थोड़ी और राहत दी ख11रू00, 12ध्5ध्2020, स्सपजंरू गए हैं उनमें आवागमन के लिए सरकारी या प्राइवेट बसे चलाई जा सके।
14. **विद्युत की कमी का समाधान–** जनजातियों की छितरी आबादी होने के कारण पहाडी पर तो बिजली पहुंचना सम्भवनहीं है फिर भी सरकार के प्रयास ये होने चाहिये कि ये लोग किसी प्रकार समूहों में रहे और सामूहिक स्थान पर बिजली पहुंचा दी जावे। अगर ये सम्भव नहीं है तो प्रत्येक राजस्व गांव में तो प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंचाने के प्रयास करने चाहिये। कृषि कनेक्शन के लिए इन्हें थोड़ी और राहत दी जानी चाहिये। इसके लिए इनकी 50 % अनुदान दिया जाना चाहिये। किसी बस्ती में यदि 20 या इससे अधिक जनजाति परिवार रहते हैं तो सरकार को उस बस्ती को विद्युतिकृत कर देना चाहिय।

निष्कर्ष

संबंधित साहित्य का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं लगभग सभी स्थानों पर लंबे समय से समान ही हैं। थोड़ा-बहुत प्रादेशिक स्तर पर अंतर जरूर देखने को मिलता है सभी समस्याओं की जानकारी सही होना जरूरी है। जो यहां विस्तार संगीत की गई हैं तभी समाधान हो पाएगा। समाधान भी हां सुझाए गए हैं जिन्हें सरकारी स्तर ग्रामीण स्तर व पारिवारिक स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु सही जानकारी का अभाव है इसका होना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *कम हो रही बेटियाँ– महामीडिया जुलाई, 2011 राष्ट्रीय सामाजिक मासिक पत्रिका, पेज नं. 58–61*
2. *भारत में महिलाओं की प्रस्थिति– डॉ. लवानिया, एम. एम. भारतीय महिलाओं का*
3. *समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर पेज नं. 1–22*
4. *महिला शिक्षा विकास का एक क्रम दशा एवं दिशा, डॉ. गुप्ता, यू. सी. रामाज कल्याण, सितम्बर, 2013*
5. *वैश्वीकरण के दौर में महिलाएँ– वर्गा अमित कुमार, भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ, अप्रेल जून 2014, पेज न. 24–29*
6. *ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के अवसर तथा बुनौतियां डॉ. भट्ट निलेश, समाज शिक्षण, अक्टूबर–दिसम्बर 2008, पेज नं. 6–12*
7. *महिलाओं को चाहिए सुरक्षा और अवरार– किश्वर मधु राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च, 2015*
8. *सशक्त करे ये खुद कर लेगी अपनी सा– कुमारी रंजना राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च, 2015*
9. *नजरिया बदलने से ही बनेगी बात–बुटालिया उर्वशी, राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च, 2015*
10. *कलियों को खिलने दें– भारतीय राधेश्याम, समाज कल्याण, जनवरी, 2013 पेज न. 6–7*
11. *बेटी हो या बेटा दोनों का करें सम्मान– देवांगन नरेन्द्र, समाज कल्याण, जनवरी 2013, पेज न. 8*
12. *बढती लिंग असमानताएं : समस्या और समाधान गर्ग अमिला –समाज कल्याण जनवरी, 2013 पेज न. 9–10*